न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-58/2010

राधेश्याम पुत्र रामेश्वरलाल जाति खाती निवासी जीणी उप तहसील सूरजगढ तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सूरजगढ जिला झुन्झुनू ।

---रेस्पोडेन्ट---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 15-11-2010 द्वारा जिला कलेक्टर झुन्झुनू एवं निर्णय दि0 01-4-10 द्वारा नायब तहसीलदार सूरजगढ ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री राजेश पूनिया एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री बिरजूसिंह शेखावत राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक- 20.11.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ने नायब तहसीलदार सूरजगढ को रिपोर्ट की कि राधेश्याम पुत्र रामेश्वरलाल खाती ने सम्वत 2066 में खसरा नं0- 131 रकबा 28.33 हैक्टर गैर मुमकीन जोहड में से 0.04 हैक्टर पर मकान व बाडा कर अतिक्रमण कर रखा है । इस पर नायब तहसीलदार ने गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस जारी कर तलब किया गया । गैर सायल ने जबाब पेश कर निवेदन किया कि इस आराजी पर प्रार्थी के पिता ने 43 साल पहले मकान बनाकर आवास निवास कर रहा था जिस पर अपीलान्ट प्रार्थी आवास निवास कर रहा है। मकानों में विधुत कनेक्शन ले रखा है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध

की जा रही कार्यवाही को खारिज किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई करते हुये गैरसायल को अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश पारित किये तथा अर्थ दण्ड स्वरूप लगान का 50 गुणा तावान कायम किया । जिससे क्षुब्ध होकर गैर सायल ने विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू के यहां प्रथम अपील पेश की । जिसमें सुनवाई करते हुये अपील खारिज कर विद्वान नायब तहसीलदार का आदेश यथावत रखा । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत के आदेश खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । विद्वान नायब तहसीलदार सूरजगढ द्वारा आराजी खसरा नं0 131 रकबा 28.33 हैक्टर किस्म जोहड पर 0.04 हैक्टर पर मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण किया जाना मानकर आदेश पारित किया है जबकि उक्त आराजी पर अपीलान्ट के पिता 43 साल से मकान बनाकर आवास निवास कर रहे थे तथा अपीलान्ट उन्ही मकानों में आवास निवास कर रहा है कोई नया अति-क्रमण नहीं किया गया । अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । इस आराजी में बने मकानों में पानी एवं बिजली का कनेक्शान है । इस आराजी में अपीलान्ट ही नहीं बल्कि इस आराजी में 100 परिवार बसे हुये हैं ।उक्त सम्पूर्ण भूमि आबादी में आ चुकी है । इस आराजी पर अपीलान्ट के विरूद्ध यह कार्यवाही केवल राजनैतिक प्रभाव के कारण की गई है । जबकि इस आराजी पर आबादी लगभग 50 वर्षो से बसी हुई है जिसमें अपीलान्ट का भी एक परिवार है ।सन् 1983 में अपीलान्ट के पिता को धारा-91 का नोटिस दिया गया था । इस प्रकार अपीलान्ट का इस आराजी पर पुराना कब्जा है । एक कल्याणकारी राज्य का उदेश्य किसी को बसाना होता है न कि उसे उजाडना । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट के पिता ने मकान आज से लगभग 50 साल पहले बनाकर आवास निवास करते आ रहे है अपीलान्ट ने अपने पिता के मकानों में ही रहना शुरू किया है । अपीलान्ट ने ने कोई नया अतिक्रमण नहीं किया है । इस आराजी पर गांव के 100 लोगें का परिवार बसा हुआ है । सम्पूर्ण भूमि आबादी है । मेरे विरूद्ध धारा-91 की कार्यवाही महज राजनैतिक प्रभाव से की गई है ।इस आराजी पर पानी व बिजली के कनेक्शन लगे हुये है । अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत के निर्णय निरस्त किये जावें ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत ने अपना आदेश सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद पारित किया है । विवादित आराजी गै0मु0 जोहड की आराजी है जिस पर किसी को भी बसने अथवा अतिक्रमण करने की कोई स्वीकृति नहीं दी जा सकती। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का जो आदेश दिया है वह उचित है । अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । विवादित आराजी की किस्म गै0मु0 जोहड की आराजी है । जिस पर चाहे कितना ही पुराना कब्जा क्यों न हो उस आराजी पर काबिज नहीं किया जा सकता जैसा माननीय उच्च न्यायालय की अपील सं0-1530/2003 अब्दूल रहमान बनाम सरकार के निर्णय में स्पष्ट किया गया है ।विवादित आराजी की किस्म गै0मु0 जोहड है जो प्रस्तुत नजीर के दायरे में है ।जिस का नियमिती करण नहीं किया जा सकता । अदालत मातहत ने अपना निर्णय

उचित एवं विधिक दिया है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 15-11-2010 एवं विद्वान नायब तहसीलदार सूरजगढ का निर्णय दिनांक 01-4-2010 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 20.11.2017 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरडा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर